	(2) प्रशासक यदि आवश्यक समझते हैं तो वह समय–समय पर अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में सेवारत वर्ग 'ख' या वर्ग 'ग' या वर्ग 'घ' के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को द्वीप परिषद के अधीन तैनात कर सकेगा । (3) इस विनियम में समाविष्ट अथवा किसी अन्य विधि में तत्समय के लिए लागू किसी बात के होते हुए भी प्रशासक अथवा कोई अधिकारी को अथवा अन्य प्राधिकारी, जिसे उसने प्राधिकृत किया है, को एक द्वीप परिषद में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दूसरे द्वीप परिषद में अथवा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में स्थानांतरण करने की शक्ति प्राप्त होगी । (4) द्वीप परिषद यदि आवश्यक समझता है, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है; बशर्ते कि यह प्रशासक के बिना पूर्व अनुमोदन के कोई पद का सृजन नहीं करेगा ।	
	67. (1) इस विनियम के द्वारा या इसके अंतर्गत अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, कार्यपालक अधिकारी करेंगे– (क) उसको विशेष तौर पर अधिरोपित अथवा उसको प्रदत्त अथवा इस विनियम के अंतर्गत तत्समय के लिए किसी अन्य विधि के अंतर्गत सभी शक्तियों का प्रयोग । (ख) प्रशासक द्वारा बनाए नियमों के अनुसार द्वीप परिषद में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए ड्यूटि तथा उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण अथवा पदभार ग्रहण । (ग) द्वीप परिषद के सभी कार्यों के निष्पादन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण। (घ) द्वीप परिषद के सभी कार्यों और विकासात्मक स्कीमों की तीव्र गति से निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय । (ड़) द्वीप परिषद और इनकी समितियों की बैठकों की कार्यवाही से संबंधित सभी कागजों और कागजातों को अपनी अभिरक्षा में रखना । (च) द्वीप परिषद निधि से धनराशि का आहरण और संवितरण करना, तथा;	कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों के कार्य